कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बरेली।

पत्रांक: /एस0टी0– दिनांक: 29.12.17

आदेश

जनपद बरेली के समस्त सार्वजनिक स्थानों व शैक्षिणिक संस्थानों के परिसर धूम्रपान मुक्त घोषित करने एवं सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की धारा 4, 5, 6, 7, के पूर्ण परिपालन कराने हेतु निम्न प्रकार की टीम का गठन किया गया है तथा संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के नीचे दियें गयें दिवसको **प्रातः 11:00 बजें** से समस्त सार्वजनिक स्थानों शैक्षणिक संस्थानों, तम्बाकू विकेताओं/दुकानो और तम्बाकू उत्पाद निर्माण आदि स्थलों में (कोटपा अधिनियम–2003) का उल्लंघन करने वालों के सम्बन्ध में जांच/छापा मारने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और अपनी आख्या प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजें, टीम प्रत्येक दशा में मेरें कार्यालय में प्रातः 10:30 बजें प्रत्येक शनिवार को कार्य दिवस पर एकत्र होना सुनिश्चित करें।

क0सं0		अधिकारी का नाम/पदनाम	जाँच करने हेतु दिन का नाम
टीम न0 1	1	अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम बरेली।	**प्रत्येक शनिवार**
	2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि	
	3	जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा नामित प्रतिनिधि	
	4	नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा नामित प्रतिनिधि	
	5	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बरेली।	
	6	आर0पी0 पटेल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	
	7	कमल कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	
	8	मोनिका गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	
	9	रीजनल कोआर्डिनेटर, यू0पी0वी0एच0ए0	
टीम न0 2	1	अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय बरेली।	**प्रत्येक शनिवार**
	2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि	
	3	जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा नामित प्रतिनिधि	
	4	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बरेली द्वारा नामित प्रतिनिधि	
	5	नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा नामित प्रतिनिधि	
	6	अमिता जिज्ञासु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	
	7	के0पी0सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	
	8	देवेश कुमार सिंह सुरक्षा अधिकारी, बरेली।	

(ओ0पी0 वर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
बरेली।
तद्दिनांक

पत्रांक: 549 /एस0टी0–
प्रतिलिपि:–

1– जिला मजिस्ट्रेट महोदय बरेली का अवलोकनार्थ।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि टीम संबन्धित थाने को निर्देशित करें कि आवयकता अनुसार टीम को फोर्स उपलब्ध करायें।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– पुलिस अधीक्षक (नगर) बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभियान/कार्य में यदि पुलिस बल की मांग की जाती है, तो आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– संबन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
6–मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त के संबंध में अपने विभाग टीम को निर्देशित करें कि वह उक्त दिनो में संबन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर समय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7– अभिहितधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बरेली को इस आशय से कि आप अपने स्तर से आदेश क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, को आदेशित करें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
बरेली।